रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 1992/अग्रहायण 11, 1914
No. 765] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 1992/AGRAHAYANA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1992

का.आ. 882(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 6 जून, 1990 में प्रकाशित, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 459 (अ) तारीख 6 जून, 1990 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर एक सलाहकार समिति गठित करती है जो आनुषंगिक, या

लघु उद्योग, औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन के लिए अरक्षित किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग की प्रकृति के अवधारण के मामले में अपनी विशेषज्ञ सलाह देगी, अर्थात्‌ –

आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति

1. सचिव, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण विभाग, उद्योग मंत्रालय, ——अध्यक्ष
2. सचिव, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास महानिदेशालय ——सदस्य
3. अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ——सदस्य
4. अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग ——सदस्य
5. अपर सचिव, और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ——सदस्य सचिव

2. सलाहकार समिति, निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के पश्चात अपनी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।

(क) किसी ऐसी वस्तु या ऐसे वर्ग की वस्तुओं की प्रकृति, जिनका आनुषंगिक या लघु उद्योग, औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किफायती रूप में उत्पादन किया जा सकता है ।

(ख) नियोजन का ऐसा स्तर जिसके आनुषंगिक या लघु उपक्रमों द्वारा ऐसी वस्तु या ऐसे वर्ग की वस्तुओं के उत्पादन द्वारा जनन होने की संभावना है;

(ग) उद्योग में उद्यमता को प्रोत्साहित करने और प्रसारित करने की सम्भाव्यता,

(घ) सर्वसाधारण के लिए अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का निवारण; और

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें सलाहकार समिति ठीक समझे।

[फा.सं. 10/14/90/एस.पी]

ए.एन. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1992

S.O. 882(E).—In pursuance of sub-section (2B) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) number S.O. 459(E), dated the 6th June, 1990, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 6th June, 1990, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of the following persons, for giving its expert advise in the matter of determining the nature of any

article or class of articles that may be reserved for production by the ancillary, or small scale, industrial undertakings, namely —

ADVISORY COMMITTEE ON RESERVATION

1. Secretary, Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries, Ministry of Industry. ... Chairman.

2. Secretary, Technical Development, Directorate General of Technical Development ... Member.

3. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices ... Member.

4 Additional Secretary, Department of Industrial Development ... Member.

5. Additional Secretary and Development Commissioner (Small Scale Industries) ... Member-Secretary.

2. The Advisory Committee shall, after considering the following matters, communicate its recommendations to the Central Government, namely :—

(a) the nature of any article or class of articles which may be produced economically by the ancillary, or small scale, industrial undertakings;

(b) the level of employment likely to be generated by the production of such article or class of articles by the ancillary, or small scale, industrial undertakings;

(c) the possibility of encouraging and diffusing entrepreneurship in industry;

(d) the prevention of concentration of economic power to the common detriment; and

(e) such other matters as the Advisory Committee may think fit.

[F. No. 10|14|90-LP]
E. N. MURTHY, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992